

राजस्व अपील संख्या - 130/2025
जी सी एम एस नम्बर - 2025/386
राजस्व अपील सं. :- 131/2025
जी सी एम एस नंबर- 2025/387

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) जोधपुर
पीठासीन अधिकारी श्री जवाहर चौधरी (आर.ए.एस.)

राजस्व अपील संख्या - 130/2025
जी सी एम एस नम्बर - 2025/386

अपीलांट्स:-

1. शिवराम पुत्र ताजाराम
2. सतुराम पुत्र ताजाराम
3. मगाराम पुत्र मगनाराम
4. लाभुराम पुत्र शिवजीराम
5. लालाराम पुत्र शिवजीराम
6. खेताराम पुत्र पूरणाराम
7. भोमाराम पुत्र भूराराम
8. रतनाराम पुत्र भूराराम
9. हापूदेवी पत्नी रतनाराम
10. गेनाराम पुत्र देदाराम
11. देवाराम पुत्र देदाराम
12. फूली पत्नी देदाराम
13. शेराराम पुत्र देदाराम
14. पेपाराम पुत्र खेताराम
15. बंशीराम पुत्र खेताराम
16. मांगी पत्नी खेताराम
17. जस्सूराम पुत्र लिखमाराम



सभी जातियान जाट निवासीगण ग्राम उरजननगर, सोमेशर, तहसील शेरगढ,
जिला जोधपुर।

बनाम

रेस्पॉन्डेन्ट -

तहसीलदार, शेरगढ, जिला जोधपुर।


अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

राजस्व अपील संख्या - 130/2025
जी सी एम एस नम्बर - 2025/386
राजस्व अपील सं. :- 131/2025
जी सी एम एस नंबर- 2025/387

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
विरुद्ध आदेश दिनांक 28.12.2010, जो बंटवाडा कर्मांक भू.अ.
/बंटवाडा/2010/57 में तहसीलदार, शेरगढ द्वारा पारित किया
गया।

राजस्व अपील संख्या - 131/2025
जी सी एम एस नम्बर - 2025/387

अपीलांट्स:-

1. शिवराम पुत्र ताजाराम
2. सतुराम पुत्र ताजाराम
3. मगाराम पुत्र मगनाराम
4. लाभुराम पुत्र शिवजीराम
5. लालाराम पुत्र शिवजीराम
6. खेताराम पुत्र पूरणाराम
7. भोमाराम पुत्र भूराराम
8. रतनाराम पुत्र भूराराम
9. हापूदेवी पत्नी रतनाराम
10. गेनाराम पुत्र देदाराम
11. देवाराम पुत्र देदाराम
12. फूली पत्नी देदाराम
13. शेराराम पुत्र देदाराम
14. पेपाराम पुत्र खेताराम
15. बंशीराम पुत्र खेताराम
16. मांगी पत्नी खेताराम
17. जस्सूराम पुत्र लिखमाराम



सभी जातियान जाट निवासीगण ग्राम उरजन नगर, सोमेसर, तहसील
शेरगढ, जिला जोधपुर।

बनाम


अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

राजस्व अपील संख्या - 130/2025
 जी सी एम एस नम्बर - 2025/386
 राजस्व अपील सं. :- 131/2025
 जी सी एम एस नंबर- 2025/387

रेस्पॉन्डेन्ट -

तहसीलदार, शेरगढ़, जिला जोधपुर।

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विरुद्ध आदेश दिनांक 15.05.1999, जो बंटवाडा क्रमांक भूअ./बंटवाडा/99/785 में तहसीलदार, शेरगढ़ द्वारा पारित किया गया।

उपस्थित -

01. अधिवक्ता श्री रोशनलाल (अपीलांट्स की ओर से)




निर्णय

दिनांक- 20.11.2025

उक्त दोनों अपीलों में समान पक्षकार, समान विवादित विषयवस्तु, समान अनुतोष, समान तथ्य एवं परिस्थितियां अन्तर्वलित होने से सुविधा की दृष्टि से इन्हें संयोजित किया जाकर अपीलांट्स वकील की सहमति से निर्णीत किया जा रहा है ताकि अलग-अलग निर्णय पारित करने से असंगति की स्थिति उत्पन्न नहीं होवे। निर्णय की प्रति प्रत्येक पत्रावली में संलग्न की जावे।

2. अपील संख्या 131/2025 (2025/387)- राजस्थान टिनेन्सी एक्ट 1955 (जिसे आगे 1955 का अधिनियम कहा गया है) की धारा 225 के अन्तर्गत, तहसीलदार शेरगढ़ द्वारा 1955 के अधिनियम की धारा 53 (2) के तहत आपसी सहमति से किए गए बंटवारा में पारित आदेश क्रमांक भूअ./बंटवाडा/99/785 दिनांक 15.05.1999 को अपास्त करने हेतु इस न्यायालय में दिनांक 15.01.2025 को पेश की गई है, जो ग्राम किशोरनगर तहसील शेरगढ़ के ख.न. 77 (वर्तमान ग्राम -रायधनगढ़) व 112 (वर्तमान ग्राम श्री रामदेवनगर) कुल रकबा- 73-06 बीघा तथा ग्राम सोमेशर (वर्तमान ग्राम- उरजननगर) तहसील शेरगढ़ के ख.न. 43, 44, 52, 53, 150, 149, 157 व 159 कुल रकबा 312-10 बीघा भूमि से संबंधित है।
3. अपील संख्या 130/2025 (2025/386)-राज. टिनेन्सी एक्ट, 1955 की धारा 225 के अन्तर्गत तहसीलदार शेरगढ़ द्वारा राजस्थान टिनेन्सी एक्ट, 1955 की धारा- 53(2) के तहत आपसी सहमति से किए गए बंटवारा में पारित आदेश क्रमांक भूअ. बंटवाडा/2010/57 दिनांक 28.12.2010 को निरस्त करने हेतु इस न्यायालय में


 अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
 जोधपुर

दिनांक 15.01.2025 को पेश की गई है। जिसमें संयुक्त खातेदारी की कृषि भूमि ग्राम सोमेश्वर (वर्तमान-ग्राम उरजननगर) तहसील शेरगढ़ के ख.न. 43, 52/2, 53, 150, 159, 43/2, 43/3, 52/3, 150/3, 159/3, 43/4, 54/4, 150/4, 159/4, 43/5, 52/5, 150/5, 159/5 की भूमि का बंटवाड़ा दिनांक 28.12.2010 को स्वीकृत कराया था।

4. इन दोनों अपील में एकमात्र प्रत्यर्थी-राजस्थान सरकार को संयोजित किया गया है। धारा-53(2) के प्रावधान के तहत सह-खातेदारान के मध्य आपसी सहमति से जरिए इकरारनामा किए गए बंटवाड़ा में राज्य सरकार के हित मात्र निर्धारित लगान की वसूली के हक तक ही हित है। अभिलेख पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जारी प्रमाणित प्रतियां उपलब्ध है तथा वर्तमान अभिलेख की स्थिति भी नकल-जमाबंदी ऑनलाइन से स्पष्ट है।
5. अपीलांट्स अनुसार दोनों प्रकरणों में बंटवारा के संलग्न नजरी नक्शा मौके कब्जे के अनुसार सही नहीं बनाया गया, जिसके कारण मौके पर विवाद उत्पन्न हो गया है। तहसीलदार ने आदेश पारित करने में विधिक व तथ्यात्मक त्रुटि कारित की है। नजरी नक्शा स्केल पर नाप के आधार पर नहीं बनाया गया था। मात्र नजरी नक्शों में लाइने अन्दाज से खींच दी तथा उसी अनुसार राजस्व नक्शे में भी तरमीम कर दी। मौके पर सही नाप करने पर पाया गया कि मौके पर नजरीनक्शा व कब्जे के अनुसार स्थिति भिन्न है। अतः नजरी नक्शे के आधार पर की गई तरमीम को निरस्त की जाकर मौके पर कब्जे अनुसार तरमीम किया जाना आवश्यक है। मौके व राजस्व रिकार्ड की स्थिति भिन्न होने से विवाद उत्पन्न हो गया है तथा आपस में विभिन्न न्यायालयों में दावें व अपीले लम्बित चलने लगी। अतः बंटवारा के साथ प्रस्तुत नजरी नक्शों को निरस्त किया जावे तथा अधीनस्थ न्यायालय को मौके अनुसार व कब्जे अनुसार माप चौक करवाया जाकर, राजस्व नक्शे व नजरी नक्शे की स्थिति आपसी सहमति से दुरुस्त की जावे।
6. अपीलांट के विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता ने अपील मीमों में अंकित अभिकथनों को ही दोहराया।
7. हमने पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अध्ययन किया। अपीलांट्स के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दौराने बहस प्रस्तुत कथनों एवं तर्कों पर विचार किया गया।




अपर जिला कलेक्टर (प्रथम)
जोधपुर

8. (a) अपील प्रकरण संख्या-131/2025 में उपलब्ध अभिलेख अनुसार
- i. ग्राम सोमेशर (मूल ग्राम) का खसरा संख्या- 43 रकबा 13-12 बीघा, ख.न. 52 रकबा-122-12 बीघा, ख.न. 159 रकबा 29-16 बीघा, ख.न. 150 रकबा 144 बीघा, ख.न. 44 रकबा 0-09 बीघा, ख.न. 53 रकबा-11 बिस्वा, ख.न. 149 रकबा-1-02 बीघा, ख.न. 157 रकबा- 0-08-बीघा कुल खसरा 8 कुल रकबा-312-10 बीघा भूमि, लिखमाराम, आसूराम पिता कोलाराम 1/3, भोमाराम, रतनाराम पिता भूराराम, झीमली पत्नी भोजाराम 1/3, श्रीराम, सतुराम पिता ताजाराम, पूर्णा पुत्र सादुलाराम, जेठी पत्नी मगनाराम, मगाराम पुत्र मगन, लाला, लाभु पिता शिवजीराम 1/3 हिस्सा दर्ज रिकार्ड थी।
- ii. इसी प्रकार ग्राम किशोर नगर का ख.न. 77 रकबा 35-14 बीघा, ख.नं. 112 रकबा 37-12 बीघा, कुल 73-06 बीघा लिखमाराम, आसूराम पिता कोलाराम 1/3, भोमाराम, रतनाराम पिता भूराराम, झीमली पत्नी -भोजाराम 1/3, श्रीराम, पूर्णाराम पिता ताजा, पूर्णा पुत्र सादुलाराम, जेठी पत्नी मगना, मगाराम पुत्र मगना, लाला, लाभु पिता शिवजीराम 1/3 हिस्सा दर्ज रिकार्ड थी।
- iii. उक्त दोनों ग्रामों की उक्त भूमि का विभाजन आदेश दिनांक 15.05.1999 से किया गया है, जिसे इस अपील के माध्यम से नक्शे में तरमीम, मौके की स्थिति से भिन्न होने की स्थिति तक आक्षेपित किया गया है। आवंटित क्षेत्रफल में कोई विवाद नहीं होना जाहिर किया गया।
- iv. उक्त बंटवारा के फलस्वरूप ख.न. 150 रकबा 54-17 बीघा, ख.न. 159 रकबा-12-05 बीघा, ख.न. 52/2 रकबा-16 बीघा, ख.न. 43 रकबा-6 बीघा, ख.न. 53 रकबा-11 बिस्वा, कुल रकबा 89-13 बीघा, ग्राम सोमेशर में श्रीराम, सतुराम पिता ताजाराम, पूर्णाराम पिता सादुलाराम, जेठी पत्नी-मगनाराम, मंगाराम पुत्र मगनाराम, लालाराम, लाभूराम पुत्र शिवजीराम को आवंटित की गई है। जिसका भी पुनः बंटवारा, आक्षेपित आदेश दिनांक-28.12.2010 को किया गया है, उसे भी अपील संख्या-130/2025 में आक्षेपित समान आधारों पर (गलत तरमीम होना) ही आक्षेपित किया है।




अपर जिला कलेक्टर (प्रथम)
जोधपुर

राजस्व अपील संख्या - 130/2025
 जी सी एम एस नम्बर - 2025/386
 राजस्व अपील सं. :- 131/2025
 जी सी एम एस नम्बर- 2025/387

(b) पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख अनुसार ग्राम सोमेश्वर का ख.न. 43, 52/2, 53, 150, 159 कुल खसरा संख्या 5 रकबा 89-13 बीघा भूमि का बंटवारा दिनांक 28.12.2010 को इस प्रकार किया गया है-

1. श्रीराज, सतुराम पिता ताजाराम को ख.न. 43/2, 52/2, 150 व 159 में 22-08 बीघा भूमि दी है।
2. पूर्णाराम पुत्र सादुलाराम को ख.न. 43/3, 52/3, 53, 150/3, 159/3 में 22-08 बीघा भूमि दी है।
3. जेठी पत्नी मगनाराम, मगाराम पुत्र मगनाराम को ख.न. 43/4, 52/4, 150/4, 159/4 में 22-09 बीघा भूमि दी है।
 लालाराम, लाभूराम पिता शिवजीराम को ख.न. 43/5, 52/5, 150/5 व 159/5 में 22-08 बीघा भूमि दी है।



(c) उक्त 89-13 बीघा भूमि दिनांक 15.05.1999 को आदेश क्रमांक- भू.अ/बंटवाडा/99/785 से करने के फलस्वरूप उक्तानुसार उक्त को प्राप्त हुई है, जिसे अपील सं. 131/2025 (2025/387) के माध्यम से अक्षेपित किया गया है जिसमें भी आधार यही लिया है कि बंटवारा मौका पर कब्जे अनुसार नक्शा तैयार करके नहीं किया गया है तथा नजरी नक्शा तैयार करके नहीं किया गया है तथा नजरी नक्शा के आधार पर ही नक्शों में गलत तरमीम कर दी गई है मौके पर बने मकानों व कब्जों के विपरीत तरमीम होने विवाद हो गया है, जिसे दुरुस्त करना आवश्यक है।

(d) अपीलांट्स ने अपील पेश करने में हुई देरी को कन्डोन करने हेतु एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा-5 म्याद अधिनियम पेश कर कथन किया है कि नजरी नक्शों के अनुसार राजस्व नक्शों में की गई तरमीम-वास्तविक कब्जा के विपरीत हो जाने से विवाद उत्पन्न होने पर गलत तरमीम की जानकारी होने पर विधिक राय से नकल लेकर दिनांक 14.01.2025 जोधपुर आए तथा यह अपील पेश की है। विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि अपीलांट्स अनपढ़ काश्तकार है। बंटवारा आपसी सहमति से हुआ है। अब भी सहमति है तथा आपसी सहमति से मौका कब्जा अनुसार पुनः बंटवारा करना चाहते हैं, क्योंकि गलत तरमीम से विवाद उत्पन्न हो गया है तथा हमेशा विवाद बना रहेगा, जिसका निराकरण मात्र सही तरमीम से ही हो सकता है। अतः मौके की स्थिति


 अपर जिला कलेक्टर (प्रथम)
 जोधपुर

अनुसार सही नापतौल करके पुनः बंटवारा करने हेतु प्रकरण तहसीलदार शेरगढ़ को प्रतिप्रेषित किया जावे। बंटवारा में आंवटित क्षेत्रफल का कोई विवाद नहीं है। प्रार्थना पत्र में अंकित अभिकथनों एवं प्रस्तुत तर्कों, प्रकरण के विशेष तथ्यों एवं परिस्थितियों के मद्देनजर, न्यायहित में यह प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया गया है। अपील पेश करने में हुई देरी सद्भाविक होने से कन्डोन की जाती है तथा अपील का निस्तारण न्यायहित में मेरिट पर किया जाना न्यायोचित है।

(e) दिनांक 15.05.1999 को किए गए बंटवारा को इस आधार पर आक्षेपित किया है कि बंटवारा के संलग्न नजरी नक्शा-मौके पर सही नाप तौल किए बिना ही तैयार किया गया था तथा उसी अनुसार राजस्व नक्शों में तरमीम करने से वर्तमान राजस्व नक्शों में स्थिति, मौके की वास्तविक स्थिति से बिल्कुल भिन्न है तथा आंवटित भूमि से हटकर पक्षकारान के मकान मौके पर बने हुए हैं, जो अन्य की भूमि पर आ रहे हैं तथा विवाद उत्पन्न हो गए हैं। यह आक्षेप दिनांक 28.12.2010 को किए गए बंटवारा आदेश बाबत उठाए गए हैं।

(f)(i) राजस्थान टिनेंसी एक्ट 1955 की धारा 53(2) के तहत आराजी विभाजन, सहखातेदारों की आपसी सहमति के करार के द्वारा धारा 53(2)(i) या न्यायालय में वाद दायर करके विभाजन की डिक्री धारा 53(2)(ii) के तहत किया जा सकता है। करार अनुसार कृषि जोतों का विभाजन करने की प्रक्रिया राजस्थान टिनेंसी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के नियम 18/19 में विहित की गई है तथा नियम 20 में डिक्री द्वारा आराजी विभाजन की प्रक्रिया दी गई है।




उक्त दोनो प्रकार से विभाजन करने के लिए, उप विभाजित खेतों के नक्शे बनाना और पुनः सीमांकन करने से संबंधित प्रावधान नियम 21 में विहित किये गये हैं, नियम 21 इस प्रकार है:-

Division of holding by agreement or by order of the court-

21. Preparation of Map and demarcation of Sub Divided Plots:-

“The Tehsildar shall prepare and place on record map showing in different colours, the Plots given to each party, and each field


अपर जिला कलेक्टर (प्रथम)
जोधपुर

राजस्व अपील संख्या - 130/2025
 जी सी एम एस नम्बर - 2025/386
 राजस्व अपील सं. :- 131/2025
 जी सी एम एस नंबर- 2025/387

has been Sub-divided he shall demarcate the portion at the expenses of the parties.”

“अर्थात् तहसीलदार प्रत्येक पार्टी को आवंटित किये गये प्लॉटों को अलग-अलग रंगों में दर्शाते हुए नक्शे बनायेगा और उसे रिकॉर्ड पर रखेगा, और यदि किसी खेत का उप विभाजन किया गया है तो पार्टियों के खर्चे पर भागों का सीमांकन भी करेगा।”

उक्त आज्ञात्मक विधिक प्रावधानों के अध्ययन से बिना किसी प्रकार के संशय या संदेह से स्पष्ट है कि आराजी विभाजन, चाहे आपसी करार से किया गया हो या न्यायालय की डिक्री से, करार अनुसार या न्यायालय की डिक्री अनुसार खसरों की भूमि का विभाजन होने पर आवंटित प्लॉटों का नक्शा विभिन्न नक्शों में तहसीलदार द्वारा तैयार किया जायेगा तथा वह प्रत्येक आवंटित प्लॉट का सीमांकन करेगा। प्रत्येक आवंटित प्लॉट का सही एवं सटीक नाप तौल सिर्फ दक्ष प्रशिक्षित राजस्व अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा आधुनिक उच्चकृत तकनीकी पद्धतियों को उपयोग में लेते हुए ही किया जा सकता है। करार के पक्षकारों से प्रत्येक प्लॉट का सही सीमांकन



नाप तौल करने की अपेक्षा नहीं की जा सकती तथा वह विधिसम्मत भी नहीं है। पक्षकार सिर्फ करार की सहमति ही दे सकते हैं।

उक्त विधिक स्थिति के परिप्रेक्ष्य में हस्तगत दोनों प्रकरणों का परीक्षण करने पर पाया गया कि बंटवारा प्रस्ताव नक्शा में अंदाज से रंग भरकर/लाईने खींचकर तैयार किये गये तथा तहसीलदार ने उन प्रस्तावों को बिना जांच किये ही प्रमाणित करके बंटवारा आदेश जारी कर दिया तथा पटवारी ने मौके पर जाकर, नाप तौल किये बिना व मौके कब्जे की जांच किये बिना ही नक्शा किशतवार में तरमीम प्रस्तावित की तथा भू.अ.निरीक्षक ने भी तरमीम बिना मौका नाप/जांच के ही पुख्ता कर दी। उक्त लापरवाही के कारण मौके की स्थिति व नक्शे की स्थिति में भिन्नता के कारण पक्षकारों के वास्तविक कब्जे को लेकर विवाद उत्पन्न होना स्वाभाविक है तथा विवाद का निराकरण करने के लिए मौका जांच करके/नाप तौल से सीमांकन करके पक्षकारों के वास्तविक कब्जों अनुसार नक्शों में सही तरमीम करना नितान्त आवश्यक है, अन्यथा आने वाली पीढ़ियों में भी भारी विवाद ही बना रहेगा।


 अपर जिला कलेक्टर (प्रथम)
 जौधपुर

स्वीकार्य रूप से पक्षकारों को आवंटित क्षेत्रफल में कोई विवाद नहीं है। विवाद मात्र आवंटित भूखण्डों की मौके पर कब्जे अनुसार सही तरमीम नहीं होने को लेकर है।

9. अतः उक्त विधिक प्रावधानों के विपरीत पारित आदेश व उसके फलस्वरूप नक्शों में की गई तरमीम भी अवैध व शून्य है। अतः प्रकरणों को मौके पर पक्षकारों के वास्तविक कब्जा की जांच करने व सीमांकन करके नियम 21 अनुसार कार्यवाही करने हेतु तहसीलदार, शेरगढ को प्रतिप्रेषित किया जाना न्यायोचित है। अपीले, अपीलाधीन आदेशों के सभी पक्षकारों/उनके विधिक वारिसान द्वारा एक राय होकर पेश की गई है तथा वे आपसी सहमति के आधार पर मौके पर कब्जे अनुसार सही तरमीम नक्शों में करवाने हेतु सहमत है। अतः लोक अदालत की भावना से न्यायहित में सभी पक्षकारों के हितों/भाईचारा व आपसी संबंधों को सौहार्दपूर्ण बनाये रखने के उद्देश्य से नए सिरे से सही व कब्जे अनुसार तरमीम करने हेतु इन प्रकरणों को प्रतिप्रेषित करना यह न्यायालय न्यायोचित समझता है ताकि अनावश्यक वाद बाहुलता नहीं बढे व पक्षकारों/न्यायालयों का अमूल्य समय व धन का अपव्यय रोका जा सके। सभी पक्षकारान एक ही पूर्वज के वंशज है। उपरोक्त विस्तृत विवेचना अनुसार अपीलांट्स प्रस्तुत दोनो अपीले आंशिक रूप से स्वीकार योग्य है।



आदेश

10. परिणामस्वरूप, पूर्वोक्त विवेचनानुसार व निष्कर्षानुसार अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत उक्त विवरण की दोनों अपीलें आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा उक्त दोनों आक्षेपित बंटवाडा आदेश की पालना में नक्शा किश्तवारों में की गई तरमीम निरस्त की जाती है। प्रकरण तहसीलदार शेरगढ को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किये जाते है कि आक्षेपित आदेश क्रमांक भू.अ./बंटवारा/99/785 उदिनांक 15.05.1999 व क्रमांक 57 दिनांक 28.12.2010 से जारी बंटवाडा आदेश के संलग्न प्रेषित प्रस्तावित नक्शा में वर्णित भूमि का तहसीलदार स्वयं विवादित भूमि का मौके व कब्जे का सही व सटीक नाप-तौल व सर्वे करवाकर, आवंटित प्लॉटों का सीमांकन करके, नया नक्शा पक्षकारों की सहमति से तैयार करे। मौके पर पक्षकारों के निर्माण कार्य/मकान इत्यादि संरचनाओं को उस आवंटित भूमि में ही रखा जावे ताकि विवाद की स्थिति उत्पन्न नहीं होवे। उक्त नए सिरे से तरमीम की कार्यवाही तीन माह की अवधि में आवश्यक रूप से


अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

राजस्व अपील संख्या - 130/2025
 जी सी एम एस नम्बर - 2025/386
 राजस्व अपील सं. :- 131/2025
 जी सी एम एस नंबर- 2025/387

पूर्ण की जावे। उक्त आदेश सिर्फ नक्शों में, मौके पर पक्षकारों का भौतिक कब्जे के आधार पर, तरमीम शुद्धि तक ही सीमित रहेगा। शेष बंटवारा आदेश यथावत रहेगा। इसके अतिरिक्त पक्षकारों की आपसी सहमति से प्रत्येक पार्टी को आवंटित भूमि तक पहुंचने के लिए सुविधाजनक रास्ता उपलब्ध कराना भी सुनिश्चित किया जावे ताकि भविष्य में रास्ते को लेकर भी किसी प्रकार विवाद उत्पन्न नहीं होवे। रास्ते हेतु आवंटित रकबा परिवर्तित किया जा सकेगा। अगर सभी पक्षकार आपसी सहमति से तरमीम संशोधन से सहमत नहीं है तो वे सक्षम न्यायालय में नियमित वाद के जरिये बंटवारा करवाने हेतु स्वतंत्र होंगे।

11. निर्णय की प्रति तहसीलदार, शेरगढ को आवश्यक कार्यवाही हेतु अविलंब प्रेषित की जावे। अपीलांद्स दिनांक 10.12.2025 को तहसीलदार, शेरगढ के समक्ष उपस्थित होंगे।
12. प्रकरणों में लंबित अन्य समस्त प्रार्थना (यदि कोई हो तो) एतद्वारा निस्तारित किये जाते हैं।
13. पत्रावली बाद तामिल व तकमील फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। नंबर से कम हो।



(जवाहर चौधरी)
 अतिरिक्त जिला कलेक्टर (प्रथम)
 (प्रथम), जोधपुर

यह निर्णय आज दिनांक 20.11.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जवाहर चौधरी)
 अतिरिक्त जिला कलेक्टर (प्रथम)
 (प्रथम), जोधपुर